

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में निदेशन तथा प्रशासन (अधिष्ठान व्यय) हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-663/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2023-24, दिनांक 27.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-महिला कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 2477.15 लाख (रूपये चौबीस करोड़ सतहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) के सापेक्ष रु0 1238.54 लाख (रूपये बारह करोड़ अड़तीस लाख चौवन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

- (1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
- (2) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/मानकों/दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० उत्तरदायी होंगे।

- (5) निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमतः कार्यवाही कर अवगत करायें।
- (6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० का होगा।
- (7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।
- (9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जाय।
- (10) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (11) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (12) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (14) उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235020010300 (महिला कल्याण निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	01 वेतन	4,95,39,000 (रुपये चार करोड़ पंचानबे लाख उनतालीस हजार मात्र)
2	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	03 मंहगाई भता	2,72,47,000 (रुपये दो करोड़ बहतर लाख सैंतालीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	04 यात्रा व्यय	2,58,000 (रुपये दो लाख अट्ठावन हजार मात्र)
4	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	31,000 (रुपये इकतीस हजार मात्र)
5	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	06 अन्य भत्ते	5,15,000 (रुपये पाँच लाख पन्द्रह हजार मात्र)
6	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	07 मानदेय	6,18,000 (रुपये छह लाख अठारह हजार मात्र)
7	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
8	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,09,000 (रुपये तीन लाख नौ हजार मात्र)
9	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,09,000 (रुपये तीन लाख नौ हजार मात्र)
10	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	4,12,000 (रुपये चार लाख बारह हजार मात्र)
11	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)
12	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,15,000 (रुपये पाँच लाख पन्द्रह हजार मात्र)
13	049	2235020010300 महिला कल्याण	18 प्रकाशन	36,000 (रुपये छत्तीस हजार मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		निदेशालय		
14	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	31,000 (रुपये इकतीस हजार मात्र)
15	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	42 अन्य व्यय	22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)
16	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
17	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	52,000 (रुपये बावन हजार मात्र)
18	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25,75,000 (रुपये पच्चीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
19	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
20	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र)
21	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	51 वर्दी व्यय	41,000 (रुपये इकतालीस हजार मात्र)
22	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	39,60,000 (रुपये उनतालीस लाख साठ हजार मात्र)
23	049	2235020010300 महिला कल्याण	57 प्रेक्टिस बन्दी भत्ता	2,06,000 (रुपये दो लाख छह हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		निदेशालय		मात्र)
24	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,90,00,000 (रुपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)
	कुल			12,38,54,000 (रुपये बारह करोड़ अड़तीस लाख चौवन हजार मात्र)
महायोग		12,38,54,000 (रुपये बारह करोड़ अड़तीस लाख चौवन हजार मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-8/2024/693(1)/60-1-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।